

**कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना ।
आदेश**

01 नि./लि. को./144 - 01/2011

वित्त विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 के द्वारा अधिसूचित रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.01.2009 तक अथवा उसके बाद 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा तथा निर्धारित अहर्ता (यथा विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति आदि) पूरी करने वाले निम्नांकित लिपिक को वित्त विभाग के पत्रांक 10936 दिनांक 27.11.14 एवं विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 05.07.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कंडिका-3(iii)(क) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार उनके नाम के समक्ष अंकित वांछित सेवावधि पूरी करने अथवा विभागीय लेखा परीक्षा में उत्तीर्णता/विमुक्ति प्राप्त करने की तिथि के प्रभाव से सम्बन्धित कॉलम में अंकित ग्रेड वेतन में प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है :-

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	वित्तीय उन्नयन की तिथि/ग्रेड पे			अभ्युक्ति
				प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
1	3	4	5	7	8	9	10
1	श्री अंजनी कुमार राय	11.07.80	21.02.03	21.02.13 2000	-	-	
2	श्रीमती स्नेहलता	08.04.56	04.09.96	11.11.14 2800	-	-	लेखा परीक्षा विमुक्ति की तिथि से।
3	श्री आनन्द प्रसाद साह	16.04.60	20.10.00	20.10.10 2800	-	-	
4	श्री प्रभाकरण	18.03.68	26.05.00	22.02.14 2800	-	-	लेखा परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से।
5	श्री संदीप कुमार	13.02.82	07.04.04	07.04.14 2000	-	-	
6	श्री एस.एम. मसीह उज्जमाँ	25.01.72	09.07.96	-	09.07.16 4600	-	
7	श्री प्रेम प्रकाश	15.05.72	18.07.96	-	18.07.16 4600	-	
8	श्री कल्याण कुमार	04.12.63	19.09.96	-	19.09.16 4600	-	
9	श्री संतोष कुमार	04.07.77	16.05.96	-	16.05.16 4600	-	
10	श्री संजय कुमार	26.02.72	21.03.96	-	21.03.16 4600	-	
11	श्री अचिन्त आदित्य	26.01.74	16.09.96	-	16.09.16 4600	-	
12	श्री बिनोद कुमार	13.01.75	03.09.96	-	03.09.16 4600	-	
13	श्री राकेश कुमार	20.10.70	10.10.96	-	10.10.16 4600	-	
14	श्री आलोक कुमार सिन्हा	28.10.72	16.01.97	-	16.01.17 4600	-	
15	श्री अखिलेश कुमार	05.01.65	11.09.96	-	11.09.16 4600	-	
16	श्री रोमित राय	02.12.74	01.10.96	-	01.10.16 4600	-	
17	श्री नवीन कुमार	11.05.74	06.06.97	-	06.06.17 4600	-	
18	श्री दीपक कुमार	01.04.66	03.06.97	-	03.06.17 4600	-	
19	श्री जय नारायण मिश्र	03.01.62	22.05.86	-	-	22.05.16 4800	
20	श्री भगवान प्रसाद	10.12.57	02.03.83	-	-	02.03.13 4800	

21	श्री मोरखतार आलम	04.01.64	24.03.86	—	—	24.03.16 4800
22	श्री मनोज कुमार	18.06.66	03.07.86	—	—	03.07.16 4800
23	श्री दीपक कुमार	07.01.63	10.01.86	—	—	10.01.16 4800
24	श्री नागेन्द्र प्रसाद सिन्हा	01.02.61	04.04.86	—	—	04.04.16 4800
25	श्री रविशंकर तिवारी	06.08.67	27.06.86	—	—	27.06.16 4800
26	श्री घनश्याम महतो	17.06.59	04.04.85	—	—	04.04.15 4800
27	श्री राणा प्रताप सिंह	14.12.60	01.08.86	—	—	01.08.16 4800
28	मो. रेयाज अहमद सहाबी	21.01.67	27.06.86	—	—	27.06.16 4800
29	श्री संजीव कुमार	02.01.66	13.01.86	—	—	13.01.16 4800
30	श्री सुनील कुमार शर्मा	06.03.58	24.07.86	—	—	24.07.16 4800
31	श्री विनय कुमार सिंह	29.01.57	27.08.86	—	—	27.08.16 4800
32	श्री कृष्ण कान्त आजाद	03.09.59	02.08.86	—	—	02.08.16 4800
33	श्री मनमोहन किशोर सिन्हा	11.05.62	04.02.86	—	—	04.02.16 4800

2. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 के कांडिका-12 के अनुसार किया जायेगा।

3. सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सम्बन्धित सभी लिपिक की सेवा-पुस्त की अपने स्तर से पुनः जाँच करके संतुष्ट हो लेंगे कि इनकी सेवा संपुष्ट है, वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति हेतु वांछित क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लिए हैं तथा विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण/विमुक्त हैं। यदि जाँच के क्रम में कोई त्रुटि/विसंगति प्रकाश में आती है तो संबंधित पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे इसे विभाग की जानकारी में लायें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। ऐसे मामलों में त्रुटि निराकरण के उपरान्त ही वेतन निर्धारण किया जाएगा। इस संदर्भ में वेतन निर्धारण उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे।

4. साथ ही, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1609 दिनांक 24.05.2011 द्वारा अधिसूचित बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 के आलोक में संबंधित कर्मियों के स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के वेतन निर्धारण के पूर्व संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा यह भी सुनिश्चित हो लिया जायेगा कि संबंधित सरकारी सेवक विहित कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं अथवा सक्षम प्राधिकार के स्तर से उन्हें उक्त परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्ति प्राप्त है। जो कर्मी उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं अथवा जिन्हें सक्षम प्राधिकार से उक्त परीक्षा से विमुक्ति नहीं प्राप्त है, उनके वेतन का निर्धारण उक्त परीक्षा से उत्तीर्णता/विमुक्ति के पश्चात् ही उनके नाम के समक्ष अंकित वित्तीय उन्नयन की तिथि के प्रभाव से किया जायेगा।

5. वित्त विभाग के पत्र संख्या 3637/वि., दिनांक 10.04.2013 के आलोक में लाभान्वित कर्मी मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(ए)(1) के प्रावधान के तहत वित्तीय उन्नयन की तिथि को अथवा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को वेतन निर्धारण के संबंध में इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर विकल्प अपने कार्यालय प्रधान को दे सकेंगे। समय सीमा के अन्दर विकल्प आवेदन नहीं देने की स्थिति में वेतन निर्धारण वित्तीय उन्नयन की तिथि से किया जाएगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अन्तिम होगा।

15/11/13

6. उपर्युक्त किसी भी कार्मिक के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मी को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति/वसूली कर ली जाएगी जो सम्बन्धित कर्मी को स्वीकार्य होगा।
7. उपरोक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./-

(विकास कुमार बरियार)

सहायक निबंधक (अ.र.),

सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5832/पटना, दिनांक 24.07.17

01 नि./लि. को./144 - 01/2011

- प्रतिलिपि :-
1. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 2. सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 3. सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण सहित)/प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र पूसा/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (खादी सहित)/सभी उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2 नि., 7 नि. एवं 01 नि./लिपिक कोषांग एवं सभी सम्बन्धित लिपिक को अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Naht

24/07/17

सहायक निबंधक (अ.र.),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।